**संख्या-13-2024-1684-57-2024-3-9-2017 टीसी-4**

**प्रेषक,**

**लक्ष्मण राम,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

**धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2024**

**विषय:-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अंतर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र हेतु राजस्व लेखा मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक उप कुलसचिव (विकास), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या-आर./डेव/जी/6005/78785, दिनांक-08.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अंतर्गत स्थापित वैदिक विज्ञान केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की राजस्व लेखा मद के 20-गैर वेतन मद में प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

## नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक पूर्णरूपेण कर लिया जाए। यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित कर दिया जाए।

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2250001010900 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(लक्ष्मण राम)**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या-13-2024-1684-57-2024-3-9-2017 टीसी-4, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. उप कुलसचिव, वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5. समन्वयक, वैदिक विज्ञान केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
7. वित्त नियंत्रक, आयुक्त, वाराणसी मण्डल कार्यालय, वाराणसी।
8. सामान्य प्रशासन, अनुभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-5
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

**(लक्ष्मण राम)**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।